1

246

हस्तांत्रित दस्तावेज अचल सम्पति/खून के रिश्ते में।

किस्म जमीन	: अराजी
गांव/नगर का नाम	: फतेहपुर
शब्द	: 300
रकबा	: 30 कनाल 0 मरला

नोट : हरियाणा सरकार के आदेश दिनांक 16.06.2014 संख्या का0आ0 62/के‌अ02/ 1899 घा0 9/2014 – भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, स्वामी द्वारा अपने जीवनकाल में खून के रिश्ते में परिवार के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट है।

मैं सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू पुत्र राममेहर जांघू निवासी पालम विहार गुरूग्राम जिला गुरूग्राम का है। जो कि मैं बरूये जमबान्दी साल 2015–16 व इंतकाल न. 1077 अराजी खेवट/खाता न. 130/153 मुस्ततील न. 33 कीला न. 19/2(5–7), 22(8–0), 23/2(0–13) व मुस्ततील न. 38 कीला न. 2/2(6–18), 3(8–0), 8(8–0), 9(8–0), 12/2(2–13), 13/1(3–11) किता 9 रकबा 51 कनाल 2 मरला का 600/1022 भाग रकबा 30 कनाल 0 मरला वाका मौजा फतेहपुर तह0 तावड़ू जिला नूंह का अकेला मालिक काबिज हूं। अराजी मजकूर पर रहन आड़रहन व अन्य किसी भी बैंक या वित्तिय संस्था का कोई भार नहीं है। उपरोक्त अराजी किसी बैंक, वित्तिय संस्था या किसी भी विभाग में किसी भी अदालत के हुक्म से जमानत पर नहीं दी हुई है। कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। रकबा सरपल्स, कुर्क एक्वायर शुदा नहीं है। किसी के साथ सौदाबय, इकरारनामा, रसीद वगैरा नहीं किये हुए है। अराजी मजकूर पर कोई कास्तकार पटटेदार नहीं है। मौके पर मैं ही काबिज हूं। उपरोक्त अराजी को मैंने किसी के हक में डिग्री नहीं की हुई है और ना ही किसी के हक में कोई मुख्तयारआम–खास वगैरा किये हुये है। यानि अराजी मजकूर हर प्रकार के भार से पाक व साफ है। मैं व आर्यन जांघू पुत्र सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू पुत्र राममेहर जांघू निवासी पालम विहार गुरूग्राम जिला गुरूग्राम एक

प्रलेख नः 246

दिनांक 08/05/2019

डीड सबंधी विवरण	
डीड का नाम	TRANSFER OF IMMOVABLE PROPERTY WITHIN BLOOD RELATION
तहसील/सब-तहसील	तावडू
गांव/शहर	फतेहपुर

धन सबंधी विवरण	
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 100.00 रुपये	E-Challan No.47531001 पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये

Drafted By: अशोक कुमार वकील

Service Charge: 200.00 रुपये

यह प्रलेख आज दिनॉक 08/05/2019 दिन बुधवार समय 1:56:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी सत्यनारायण जांघू पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी मीर सिह निवासी द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

श्री सत्यनारायण जांघू

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी
तावडू

SUB-REGISTRAR TAURU

उपरोक्त पेशकर्ता व श्री/श्रीमती/कुमारी आर्यन जांघू दावेदार हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यो को दोनो पक्षो ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनो पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी मनजेश कुमार नम्बरदार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी फतेहपुर व श्री/श्रीमती/कुमारी अशोक कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी गिनौरी निवासी फतेहपुर ने की।

साक्षी नः 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी नः 2 की पहचान करता है।

दिनॉक 08/05/2019

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी
तावडू

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीकृत वसीका की स्कैन प्रति jamahandi.nic.in पर डाल दी गई है ।

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी
तावडू

ही परिवार के सदस्य है। जो कि मेरा सगा पुत्र है। अतः अब मैं अपनी इच्छा व स्थिर बुद्धि से अपनी अराजी मजकूर को हक रास्ता व सर्व अधिकार सहित अपने सगे पुत्र आर्यन जांघू पुत्र सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू पुत्र राममेहर जांघू निवासी पालम विहार गुरूग्राम जिला गुरूग्राम के हक में हस्तांत्रित करता हूं। कब्जा हस्तांत्रित की हुई उपरोक्त अराजी पर सम्पत्ति ग्रहिता का मौके पर करा दिया है और अपने जैसा मालिक काबिज बना दिया है। सम्पत्ति ग्रहिता उपरोक्त अराजी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। उपरोक्त अराजी की बावत जो हक हकूक मुझे हासिल थे वे तमाम हक हकूक, अराजी मजकूर के आज के बाद सम्पत्ति ग्रहिता को हासिल होगें। वह इस अराजी को किसी अन्य को बय करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। अब मेरा उपरोक्त अराजी से कोई ताल्लुक वास्ता किसी प्रकार का नहीं रहा है। अतः यह हस्तांत्रित दस्तावेज अचल सम्पति मैंने होश-हवाश सुन व समझकर गवाहों के सामने लिख दिया है कि सनद रहे। तावडू दिनांक 08.05.2019

ह0 हस्तांत्रित कर्ता : सत्यनारायण जांघू

ह0 सम्पति ग्रहिता : आर्यन जांघू

गवाह 1 मनजेस कुमार नम्बरदार
गांव फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूंह

Manjesh
Sarbarah Numberdar
Manjesh Kumar
Vill. Fatehpur Teh. Tauru
Distt. Mewat (Hr.)

गवाह 2 सवाब S/o गानार्दी
फतेहपुर

Ashal'

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
246	2019-2020	1

पेशकर्ता

दावेदार

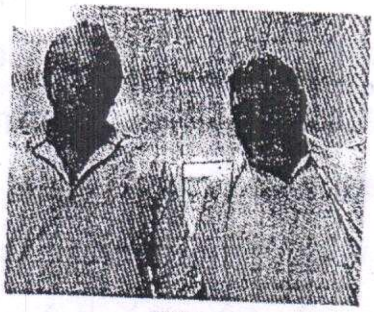

गवाह

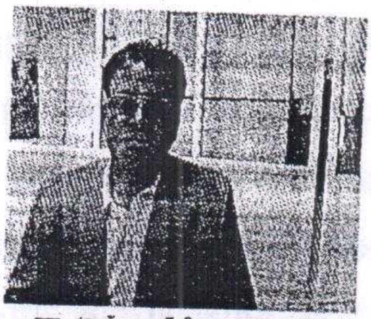

उप /सयुँक्त पँजीयन अधिकारी

पेशकर्ता	सत्यनारायण जांघू	
दावेदार	आर्यन जांघू	
गवाह	मनजेश कुमार नम्बरदार	Manjesh
गवाह	अशोक कुमार	Ashok

प्रमाण-पत्र

ाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 246 आज दिनाँक 08/05/2019 को बही नः 1 जिल्द नः 1,382 के ृ नः 160 पर पँजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द नः 1,390 के ृ सख्या 10 से 12 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और ाहो ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है ।

दिनाँक 08/05/2019

उप/सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
तावडु

हस्तांत्रित दस्तावेज अचल सम्पति / खून के रिश्ते में।

किस्म जमीन : अराजी

गांव / नगर का नाम : फतेहपुर 247

शब्द : 300

रकबा : 3 कनाल 3 मरला

नोट : हरियाणा सरकार के आदेश दिनांक 16.06.2014 संख्या का0आ0 62 / केअ02 / 1899 धा0 9 / 2014 – भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, स्वामी द्वारा अपने जीवनकाल में खून के रिश्ते में परिवार के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट है।

मैं श्रीमति राजवन्ती जांघू पत्नी सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू निवासी पालम विहार गुरूग्राम जिला गुरूग्राम की है। जो कि मैं बरूये जमबान्दी साल 2015–16 व इंतकाल न. 1002 तकसीम मंजूरशुदा अराजी खेवट / खाता न. 129 / 152 मुस्ततील न. 33 कीला न. 13 / 2 / 2(1–6), 18 / 1(7–8), 23 / 1(7–7), व मुस्ततील न. 38 कीला न. 2 / 1(1–2) किता 4 रकबा 17 कनाल 3 मरला का 33 / 343 भाग रकबा बयकदर रकबा 3 कनाल 3 मरला वाका मौजा फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूंह की अकेली मालिक काबिज हूं। अराजी मजकूर पर रहन आड़रहन व अन्य किसी भी बैंक या वित्तिय संस्था का कोई भार नहीं है। उपरोक्त अराजी किसी बैंक, वित्तिय संस्था या किसी भी विभाग में किसी भी अदालत के हुक्म से जमानत पर नहीं दी हुई है। कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। रकबा सरपल्स, कुर्क एक्वायर शुदा नहीं है। किसी के साथ सौदाबय, इकरारनामा, रसीद वगैरा नहीं किये हुए है। अराजी मजकूर पर कोई कास्तकार पटटेदार नहीं है। मौके पर मैं ही काबिज हूं। उपरोक्त अराजी को मैंने किसी के हक में डिग्री नहीं की हुई है और ना ही किसी के हक में कोई गुख्तयारआम–खास वगैरा किये हुये है। यानि अराजी मजकूर हर प्रकार के भार से पाक व साफ है। मैं व सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू पुत्र राममेहर जांघू निवासी पालम विहार गुरूग्राम जिला गुरूग्राम एक ही परिवार के सदस्य है। जो कि

Rajwanti

प्रलेख नः 217 दिनांक 08/05/2019

डीड सबंधी विवरण
डीड का नाम TRANSFER OF IMMOVABLE PROPERTY WITHIN BLOOD RELATION
तहसील/सब-तहसील तावड़
गांव/शहर फतेहपुर
धन सबंधी विवरण
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 100.00 रुपये E-Challan No.47532649 पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये

Drafted By: अशोक कुमार वकील Service Charge: 200.00 रुपये

यह प्रलेख आज दिनांक 08/05/2019 दिन बुधवार समय 1:59:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमती राजवन्ती पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी सतनारायण जान्गु निवासी द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

उप / सयुंक्त पंजीयन अधिकारी

तावडु

श्री श्रीमती राजवन्ती

उपरोक्त पेशकर्ता व श्री/श्रीमती/कुमारी सत्यनारायण जांघु दावेदार हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यो को दोनो पक्षो ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनो पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी मनजेश कुमार नम्बरदार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी फतेहपुर व श्री/श्रीमती/कुमारी अशोक कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी गिर्नोरी निवासी फतेहपुर ने की। साक्षी नः 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी नः 2 की पहचान करता है।

दिनांक 08/05/2019

उप / सयुंक्त पंजीयन अधिकारी

तावडु

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीकृत वसीका की स्कैन प्रति jamabandi.nic.in पर डाल दी गई है ।

उप / सयुंक्त पंजीयन अधिकारी

तावडु

मेरा पति है। अतः अब मैं अपनी इच्छा व स्थिर बुद्धि से अपनी अराजी मजकूर को हक रास्ता व सर्व अधिकार सहित अपने पति सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू पुत्र राममेहर जांघू निवासी पालम विहार गुरूग्राम जिला गुरूग्राम के हक में हस्तांत्रित करती हूं। कब्जा हस्तांत्रित की हुई उपरोक्त अराजी पर सम्पत्ति ग्रहिता का मौके पर करा दिया है और अपने जैसा मालिक काबिज बना दिया है। सम्पत्ति ग्रहिता उपरोक्त अराजी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। उपरोक्त अराजी की बाबत जो हक हकूक मुझे हासिल थे वे तमाम हक हकूक, अराजी मजकूर के आज के बाद सम्पत्ति ग्रहिता को हासिल होगें। वह इस अराजी को किसी अन्य को बय करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। अब मेरा उपरोक्त अराजी से कोई ताल्लुक वास्ता किसी प्रकार का नहीं रहा है। अतः यह हस्तांत्रित दस्तावेज अचल सम्पति मैंने होश–हवाश सुन व समझकर गवाहों के सामने लिख दिया है कि सनद् रहे। तावडू दिनांक 08.05.2019

ह0 हस्तांत्रित कर्ता : श्रीमति राजवन्ती जांघू ह0 सम्पति ग्रहिता : सत्यनारायण जांघू

गवाह 1 मनजेस कुमार नम्बरदार गवाह 2 अशोक S/o [illegible]
गांव फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूंह फतेहपुर

Sarbarahа Numberdar
Manjesh Kumar
Vill. Fatehpur Teh. Tauru
Distt. Mewat (Hr.)

DRAFTED BY
ASHOK KUMAR
Distt. Court, NUH

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
247	2019-2020	1

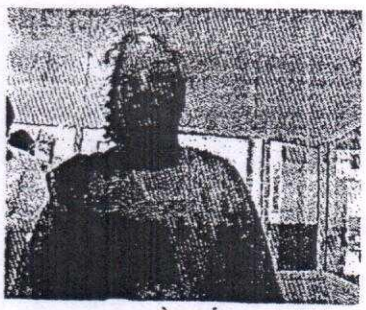

पेशकर्ता

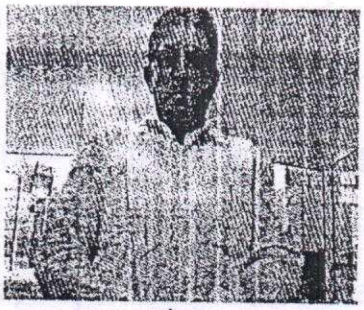

दावेदार

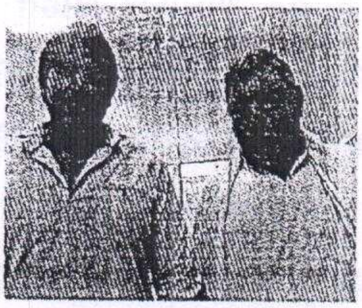

गवाह

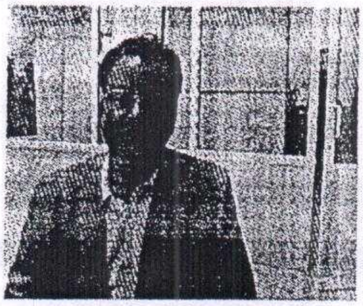

उप /सयुंक्त पंजीयन अधिकारी

पेशकर्ता	श्रीमती राजवन्ती	Raj want
दावेदार	सत्यनारायण जांगू	
गवाह	मनजेश कुमार नम्बरदार	Manjesh
गवाह	अशोक कुमार	Ashok

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख कमांक 247 आज दिनॉक 08/05/2019 को बही नः 1 जिल्द नः 1,382 के पृष्ठ नः 161 पर पँजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द नः 1,390 के पृष्ठ सख्या 13 से 15 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहो ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है ।

दिनॉक 08/05/2019

उप / सयुंक्त पंजीयन अधिकारी

तावडू

हस्तांत्रित दस्तावेज अचल सम्पति/खून के रिश्ते में।

किस्म जमीन : अराजी

गांव/नगर का नाम : फतेहपुर

शब्द : 300

245

रकबा : 10 कनाल 17 मरला

नोट : हरियाणा सरकार के आदेश दिनांक 16.06.2014 संख्या का0आ0 62/के02/ 1899 धा0 9/2014 – भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, स्वामी द्वारा अपने जीवनकाल में खून के रिश्ते में परिवार के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट है।

मैं श्रीमति राजवन्ती जांघू पत्नी सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू निवासी पालम विहार गुरूग्राम जिला गुरूग्राम की है। जो कि मैं बरूये जमबान्दी साल 2015–16 व इंतकाल न. 1002 तकसीम मंजूरशुदा अराजी खेवट/खाता न. 129/152 मुस्ततील न. 33 कीला न. 13/2/2(1–6), 18/1(7–8), 23/1(7–7), व मुस्ततील न. 38 कीला न. 2/1(1–2) किता 4 रकबा 17 कनाल 3 मरला का 217/343 भाग रकबा बयकदर रकबा 10 कनाल 17 मरला वाका मौजा फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूंह की अकेली मालिक काबिज हूं। अराजी मजकूर पर रहन आड़रहन व अन्य किसी भी बैंक या वित्तिय संस्था का कोई भार नहीं है। उपरोक्त अराजी किसी बैंक, वित्तिय संस्था या किसी भी विभाग में किसी भी अदालत के हुक्म से जमानत पर नहीं दी हुई है। कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। रकबा सरपल्स, कुर्क एक्वायर शुदा नहीं है। किसी के साथ सौदाबय, इकरारनामा, रसीद वगैरा नहीं किये हुए है। अराजी मजकूर पर कोई कास्तकार पटटेदार नहीं है। मौके पर मैं ही काबिज हूं। उपरोक्त अराजी को मैंने किसी के हक में डिग्री नहीं की हुई है और ना ही किसी के हक में कोई मुख्तयारआम–खास वगैरा किये हुये है। यानि अराजी मजकूर हर प्रकार के भार से पाक व साफ है। मैं व सचिन जांघू पुत्र सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू निवासी पालम विहार गुरूग्राम जिला गुरूग्राम एक ही परिवार के सदस्य है। जो कि

Rajwanti

प्रलेख न: 245

दिनाँक 08/05/2019

डीड सबंधी विवरण

डीड का नाम TRANSFER OF IMMOVABLE PROPERTY WITHIN BLOOD RELATION

तहसील/सब-तहसील तावडु

गांव/शहर फतेहपुर

धन सबंधी विवरण

रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 100.00 रुपये E-Challan No.4753279(पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये

Drafted By: अशोक कुमार वकील

Service Charge: 200.00 रुपये

यह प्रलेख आज दिनॉक 08/05/2019 दिन बुघवार समय 1:53:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमती राजवन्ती पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी सतनारायण जान्नु निवासी द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

श्री श्रीमती राजवन्ती

उप / सयुंक्त पंजीयन अधिकारी
तावडु

उपरोक्त पेशकर्ता व श्री/श्रीमती/कुमारी सचिन जांघु दावेदार हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यो को दोनो पक्षो ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनो पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी मनजेश कुमार नम्बरदार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी फतेहपुर व श्री/श्रीमती/कुमारी अशोक कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी गिनौरी निवासी फतेहपुर ने की। साक्षी न: 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी न: 2 की पहचान करता है।

दिनॉक 08/05/2019

उप / सयुंक्त पंजीयन अधिकारी
तावडु

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीकृत वसीका की स्कैन प्रति jamabandi.nic.in पर डाल दी गई है ।

उप / सयुंक्त पंजीयन अधिकारी
तावडु

मेरा सगा पुत्र है। अतः अब मैं अपनी इच्छा व स्थिर बुद्धि से अपनी अराजी मजकूर को हक रास्ता व सर्व अधिकार सहित अपने सगे पुत्र सचिन जांघू पुत्र सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू निवासी पालम विहार गुरूग्राम जिला गुरूग्राम के हक में हस्तांत्रित करती हूं। कब्जा हस्तांत्रित की हुई उपरोक्त अराजी पर सम्पत्ति ग्रहिता का मौके पर करा दिया है और अपने जैसा मालिक काबिज बना दिया है। सम्पत्ति ग्रहिता उपरोक्त अराजी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। उपरोक्त अराजी की बाबत जो हक हकूक मुझे हासिल थे वे तमाम हक हकूक, अराजी मजकूर के आज के बाद सम्पत्ति ग्रहिता को हासिल होगें। वह इस अराजी को किसी अन्य को बय करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। अब मेरा उपरोक्त अराजी से कोई ताल्लुक वास्ता किसी प्रकार का नहीं रहा है। अतः यह हस्तांत्रित दस्तावेज अचल सम्पति मैंने होश–हवाश सुन व समझकर गवाहों के सामने लिख दिया है कि सनद् रहे। तावडू दिनांक 08.05.2019

ह0 हस्तांत्रित कर्ता : श्रीमति राजवन्ती जांघू

ह0 सम्पति ग्रहिता : सचिन जांघू

Raj want

गवाह 1 मनजेस कुमार नम्बरदार
गांव फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूंह

Manjesh
Sarbaraha Numberdar
Manjesh Kumar
Vill. Fatehpur Teh. Tauru
Distt. Mewat (Hr.)

गवाह 2 अशोक S/o

फतेहपुर

Ashok

DRAFTED BY
...MAR

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
245	2019-2020	1

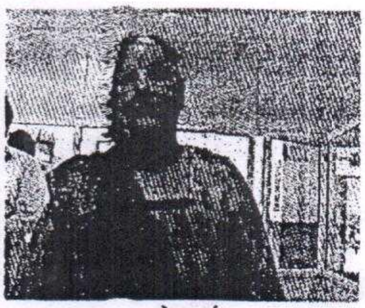
पेशकर्ता

दावेदार

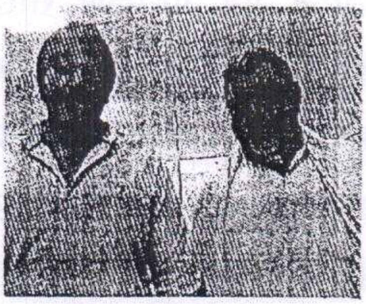
गवाह

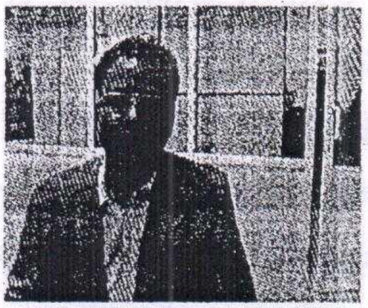
उप /सयुँक्त पँजीयन अधिकारी

पेशकर्ता	श्रीमती राजवन्ती		Rajwant
दावेदार	सचिन जांघु		[illegible]
गवाह	मनजेश कुमार नम्बरदार		Mahjesh
गवाह	अशोक कुमार		Ashok

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख कमांक 245 आज दिनाँक 08/05/2019 को बही न: 1 जिल्द न: 1,382 के पृष्ठ न: 160 पर पँजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द न: 1,390 के पृष्ठ सख्या 7 से 9 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहो ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है ।

दिनाँक 08/05/2019

उप/सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
तावडु

हस्तांत्रित दस्तावेज अचल सम्पति/खून के रिश्ते में।

किस्म जमीन : अराजी

गांव/नगर का नाम : फतेहपुर

शब्द : 300 २५५

रकबा : 19 कनाल 3 मरला

नोट : हरियाणा सरकार के आदेश दिनांक 16.06.2014 संख्या का0आ0 62/के.अ02/ 1899 धा0 9/2014 – भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, स्वामी द्वारा अपने जीवनकाल में खून के रिश्ते में परिवार के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट है।

मैं श्रीमति राजवन्ती जांघू पत्नी सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू निवासी पालम विहार गुरूग्राम जिला गुरूग्राम की है। जो कि मैं बरूये जमबान्दी साल 2015–16 अराजी खेवट/खाता न. 130/153 मुस्ततील न. 33 कीला न. 19/2(5–7), 22(8–0), 23/2(0–13) व मुस्ततील न. 38 कीला न. 2/2(6–18), 3(8–0), 8(8–0), 9(8–0), 12/2(2–13), 13/1(3–11) किता 9 रकबा 51 कनाल 2 मरला का 3/8 भाग रकबा 19 कनाल 3 मरला वाका मौजा फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूंह की अकेली मालिक काबिज हूं। अराजी मजकूर पर रहन आड़रहन व अन्य किसी भी बैंक या वित्तिय संस्था का कोई भार नहीं है। उपरोक्त अराजी किसी बैंक, वित्तिय संस्था या किसी भी विभाग में किसी भी अदालत के हुक्म से जमानत पर नहीं दी हुई है। कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। रकबा सरपल्स, कुर्क एक्वायर शुदा नहीं है। किसी के साथ सौदाबय, इकरारनामा, रसीद वगैरा नहीं किये हुए है। अराजी मजकूर पर कोई कास्तकार पटटेदार नहीं है। मौके पर मैं ही काबिज हूं। उपरोक्त अराजी को मैंने किसी के हक में डिग्री नहीं की हुई है और ना ही किसी के हक में कोई मुख्तयारआम–खास वगैरा किये हुये है। यानि अराजी मजकूर हर प्रकार के भार से पाक व साफ है। मैं व सचिन जांघू पुत्र सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू निवासी पालम विहार गुरूग्राम जिला गुरूग्राम एक ही परिवार के सदस्य है। जो कि

Rajwanti

प्रलेख न: 244 दिनाँक 08/05/2019

डीड सबंधी विवरण

डीड का नाम TRANSFER OF IMMOVABLE PROPERTY WITHIN BLOOD RELATION

तहसील/सब-तहसील तावडु

गांव/शहर फतेहपुर

धन सबंधी विवरण

रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 100.00 रुपये E-Challan No.4753289(पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये

Drafted By: अशोक कुमार वकील Service Charge: 200.00 रुपये

यह प्रलेख आज दिनाँक 08/05/2019 दिन बुधवार समय 1:51:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमति राजवंती जांघू पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी सत्यनारायण जांघू निवासी द्वारा पँजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

श्री श्रीमति राजवंती जांघू

उप/सयुँक्त पंजीयन अधिकारी

तावडु

उपरोक्त पेशकर्ता व श्री/श्रीमती/कुमारी सचिन जांघू दावेदार हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यो को दोनो पक्षो ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनो पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी मनजेश कुमार नम्बरदार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी फतेहपुर व श्री/श्रीमती/कुमारी अशोक पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी गिनोरी निवासी फतेहपुर ने की। साक्षी न: 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी न: 2 की पहचान करता है।

दिनाँक 08/05/2019

उप/सयुँक्त पंजीयन अधिकारी

तावडु

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीकृत वसीका की स्कैन प्रति jamabandi.nic.in पर डाल दी गई है ।

उप / सयुँक्त पंजीयन अधिकारी

तावडु

मेरा सगा पुत्र है। अतः अब मैं अपनी इच्छा व स्थिर बुद्धि से अपनी अराजी मजकूर को हक रास्ता व सर्व अधिकार सहित अपने सगे पुत्र सचिन जांघू पुत्र सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू निवासी पालम विहार गुरूग्राम जिला गुरूग्राम के हक में हस्तांत्रित करती हूं। कब्जा हस्तांत्रित की हुई उपरोक्त अराजी पर सम्पत्ति ग्रहिता का मौके पर करा दिया है और अपने जैसा मालिक काबिज बना दिया है। सम्पत्ति ग्रहिता उपरोक्त अराजी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। उपरोक्त अराजी की बाबत जो हक हकूक मुझे हासिल थे वे तमाम हक हकूक, अराजी मजकूर के आज के बाद सम्पत्ति ग्रहिता को हासिल होगें। वह इस अराजी को किसी अन्य को बय करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। अब मेरा उपरोक्त अराजी से कोई ताल्लुक वास्ता किसी प्रकार का नहीं रहा है। अतः यह हस्तांत्रित दस्तावेज अचल सम्पति मैंने होश–हवाश सुन व समझकर गवाहों के सामने लिख दिया है कि सनद रहे। तावडू दिनांक 08.05.2019

ह0 हस्तांत्रित कर्ता : श्रीमति राजवन्ती जांघू   ह0 सम्पति ग्रहिता : सचिन जांघू

Rajwanti

गवाह 1 मनजेस कुमार नम्बरदार   गवाह 2 अशोक s/o किशोरी फतेहपुर

गांव फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूंह

Manjesh
Sarbarana Numberdar
Manjesh Kumar
Vill. Fatehpur Teh. Tauru
Distt. Mewat (Hr.)

Ashok

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
244	2019-2020	1

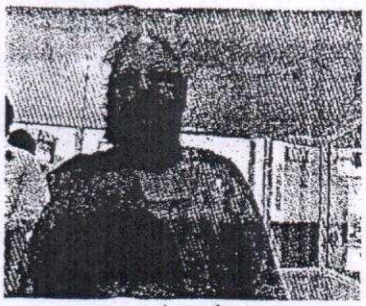
पेशकर्ता

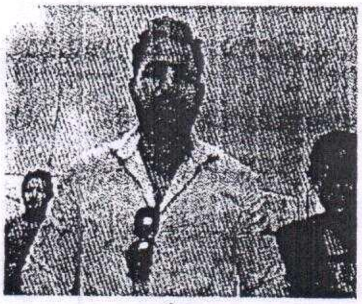
दावेदार

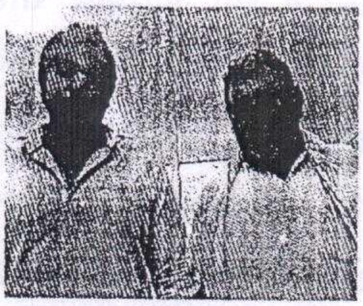
गवाह

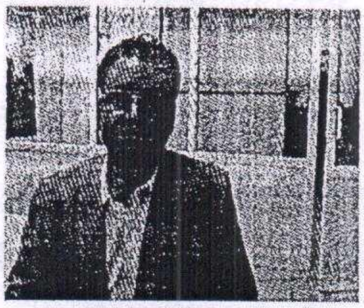
उप / सयुँक्त पंजीयन अधिकारी

पेशकर्ता	श्रीमति राजवंती जांघू
दावेदार	सचिन जांघू
गवाह	मनजेश कुमार नम्बरदार
गवाह	अशोक

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख कमांक 244 आज दिनांक 08/05/2019 को बही नः 1 जिल्द नः 1,382 के पृष्ठ नः 160 पर पँजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द नः 1,390 के पृष्ठ सख्या 4 से 6 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहो ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है ।

दिनाँक 08/05/2019

उप / सयुँक्त पंजीयन अधिकारी
तावडू

पत्र	मूल्य	स्टाम्प	एस आर	शब्द	क्र0सं0
बयनामा	3,60,00,000 / –	18,00,000 / –	निल	450	

रकबा 33 कनाल 15 मरला स्टाम्प उप खजाना तावडू न0 180

मौजा फतेहपुर दिनांक 08.05.2012

हम श्रीमति राजवन्ती पत्नी व प्रेम पुत्र महेन्द्र पुत्र श्री मातादीन समभाग 2/3 भाग निवासी गांव कालडावास डा0 नैचाना तह0 बावल जिला रेवाडी – कविता पुत्री महेन्द्र पुत्र मातादीन 1/3 भाग (पत्नी श्री विजय) निवासी मांडोठी तह0 बहादुरगढ जिला झज्जर के हैं। जो कि हम बरूवे जमाबन्दी 2005–06 अराजी जरई खेवट/खाता नं0 80/100 मु0 न0 33 कीला न0 1(5–9), 10/1(3–7), 10/2(3–4), 11/1(7–16),20/1/2(1–9), 20/2/1(5–17),21/1/2(6–7), व मु0 नं0 34 कीला नं0 5/3/1(0–6), रकबा 33 कनाल 15 मरला ग्राम फतेहपुर तह0 तावडू जिला मेवात के मालिक व काबिज हैं। अराजी मजकूर पर रहन – आड रहन व अन्य किसी भी वितीय संस्था वगैरा का कोई भार नही है। अराजी मजकूर की बाबत किसी के साथ कोई सौदा बय इकरारनामा रसीद वगैरा नही किये हुये है। अराजी मजकूर किसी भी अदालत के हुकम से किसी भी बैंक – वितिय संस्था व अन्य किसी भी विभाग में जमानत पर नही दी हुई है। कोई मुकदमा नही चल रहा है। रकबा सरपल्स, कुर्क, एक्वायंर शुदा नही है। अराजी मजकूर किसी के हक में डिग्री नही की हुई है और ना ही किसी को मु0 आम बनाया हुआ है। हमें अन्य अराजी वगैरा खरीदने के लिये धन की जरूरत है। अतः अब हम अपनी इच्छा व स्थिर बुद्धि से अपनी अराजी मजकूर को हक रास्ता, हक टयूबवैल, हक बिजली कनैक्शन, हक कोठरी, सहित मु0 3,60,00,000/– रूपये (तीन करोड साठ लाख रूपये) में सतनारायण जांघू पुत्र श्री मीरसिंह जांघू पुत्र श्री राममेहर जांघू निवासी ई 2364, अंसल पालम विहार गुडगावां तह0 व जिलां गुडगावां को बय व कतई फरोख्त करते हैं। कब्जा अराजी पर क्रेता का मौके

PremKumar

Kavita

प्रलेख न: 643

दिनाँक 14/05/2012

डीड सबंधी विवरण

डीड का नाम SALE OUTSIDE MC AREA

तहसील/सब-तहसील तावडु गांव/शहर फतेहपुर स्थित फतेहपुर

भवन का विवरण

भूमि का विवरण

चाही 4 Acre 1 Kanal 15 Marla

धन सबंधी विवरण

राशि 36,000,000.00 रुपये

कुल स्टाम्प डयूटी की राशि 18,000.00/- रुपये

स्टाम्प की राशि 18,000.00/- रुपये रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 15,000.00 रुपये पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये

रूपये

Drafted By: KR Anam Adv

यह प्रलेख आज दिनाँक 14/05/2012 दिन सोमवार समय 4:09:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी Rajwanti thru पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी Mahender निवासी Kaldawas, Rewari द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

उप / सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
तावडु

श्री Rajwanti, Kavita, Prem

उपरोक्त विक्रेता व श्री/श्रीमती/कुमारी Satnarayan Janghu क्रेता हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यो को दोनो पक्षो ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। प्रलेख के अनुसार 0.00 रूपये की राशि क्रेता ने मेरे समक्ष विक्रेता को अदा की तथा प्रलेख मे वर्णित अग्रिम अदा की गई राशि के लेन देन को स्वीकार किया।

दोनः पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी Kanwar Singh Nmab पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी Fatehpur व श्री/श्रीमती/कुमारी Ashol Kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी Ginuuri निवासी Fatehpur ने की। साक्षी न: 1 का हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप में जानते है तथा वह साक्षी न:2 की पहचान करता है।

दिनाँक 14/05/2012

उप / सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
तावडु

पर करा दिया है। सर्व बयधन मु0 3.60,00,000/– रूपये (तीन करोड साठ लाख रूपये) हमने क्रेता से निम्न प्रकार प्राप्त कर लिये है:–

नाम	राशि	चैक नं0	दिनांक:	बैंक का नाम
राजवन्ती	25,00,000/–	095566	06.02.2012	विजया बैंक गुडगावां
राजवन्ती	85,00,000/–	द्वारा RTGS	14-05-2012	
राजवन्ती	10,00,000/–	नकद	14.02.2012	
प्रेम	25,00,000/–	095567	06.02.2012	विजया बैंक गुडगावां
प्रेम	5,00,000/–	095560	11.11.2011	विजया बैंक गुडगावां
प्रेम	10,00,000/–	नकद	14.05.2012	
प्रेम	80,00,000/–	द्वारा RTGS	14-05-2012	
कविता	25,00,000/–	095568	06.02.2012	विजया बैंक गुडगावां
कविता	95,00,000/–	732861	14.05.2012	

अब हमारी कोई राशि क्रेता के जिम्मे बकाया नही रही है। अब हमारा व हमारे वारसान का अराजी मुबईया से कोई वास्ता किसी प्रकार का नही रहा है। क्रेता को अराजी मुबईया का अपनी भांति पूर्ण रूप से मालिक कामिल काबिज बना दिया है। अगर इस बय में कोई बाधा पडेगी या हमारी मलकियत की कमी के कारण अराजी मुबईया का कब्जा क्रेता से निकल जावेगी तो उस सूरत में, हम व हमारे वारसान व हमारी अन्य सम्पति क्रेता की हानि – हर्जा – खर्चा के अदा करने के जिम्मेवार रहेंगे। लागत स्टाम्प फीस आदि क्रेता ने की है। अतः यह बयनामा लिख दिया हैं कि सनद रहे।

तावडू तारीख : 14.05.2012

ह0 विक्रेतागण : श्रीमति राजवन्ती – प्रेम -- कविता ह0 क्रेता : सतनारायण जांघू

Prem Kumar Kavita

गवाह 1 कंवरसिंह नम्बरदार फतेहपुर गवाह 2 अशोक कुमार पुत्र गिनोरी निवासी फतेहपुर

कंवरसिंह

612

Reg. No. | Reg. Year | Book No.
643 | 2012-2013 | 1

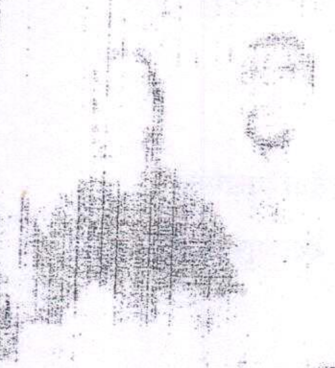

विक्रेता | क्रेता | गवाह

Prem ______ Kavita ______

upkaran ...

Kanwar Singh Nmah

गवाह 2:- Ashok Kumar

प्रमाण-पत्र

...णित किया जाता है कि यह प्रलेख कमांक 643 आज दिनाँक 14/05/2012 को बही न: 1 जिल्द न: 98 के ... न: 192 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द न: 972 के ... सख्या 35 से 36 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और ...हा ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है ।

दिनाँक 14/05/2012

उप / सयुंक्त पंजीयन अधिकारी
तावड़

STATE BANK OF INDIA

Sl. No. 142668

GSR / 002

RECEIPT

STATE BANK OF INDIA Mehrauli Road, Gurgaon (01565)

Branch Code No.

Received a sum of ₹ 550000/-

(Rupees Five Lac Fifty Thousand only only)

from Smt. / ~~Shri~~ Rajwanti Jangholi

~~s/o, d/o~~, w/o S N Jangholi

residing at Gurgaon for credit to Government of Haryana account towards Stamp Duty.

Date : 13 DEC 2014

Place : GURGAON

State Bank of India 01565 Mehrauli Road, Gurgaon

(Signatures of Authorised Officer)

पत्र	मूल्य	स्टाम्प	एस आर	शब्द	क्र0स0
बयनामा	1,82,20,159/-	5,50,000/-	निल	450	

रकबा 19 कनाल 3 मरला स्टाम्प स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया महरोली रोड गुडगावां

मौजा फतेहपुर सी सी न0 142669/जी एस आर/002 दिनांक: 13.12.2014

हम सतपाल – सतबीर – सत्यवान – सतीश कुमार पुत्रान मीरसिंह पुत्र श्री चन्दर समभाग 1/4 भाग व समयसिंह पुत्र श्री सूरतसिंह पुत्र श्री बादाम 1/8 भाग निवासी फतेहपुर तह:

Satyawan Satish Sat Pal समयसिंह Satbir

प्रलेख न: 2194

दिनॉक 16/12/2014

डीड सबंधी विवरण		
डीड का नाम SALE OUTSIDE MC AREA		
तहसील/सब-तहसील तावडु	गांव/शहर फतेहपुर	स्थित फतेहपुर
भवन का विवरण		
भूमि का विवरण		
चाही	2 Acre 3 Kanal 3 Marla	
धन सबंधी विवरण		
राशि 18,220,159.00 रुपये	कुल स्टाम्प डयूटी की राशि 550,000.00 रुपये	
स्टाम्प की राशि 550,000.00 रुपये	रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 15,000.00 रुपये	पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये

Drafted By: K.R. Aman Adv.

Service Charge: 200.00 रुपये

यह प्रलेख आज दिनॉक 16/12/2014 दिन मंगलवार समय 1:05:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी Satpal-Satbir-Sataybhan-Satish Kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी Meer Singh निवासी fatehpur द्वारा पॅंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

उप/सयुँक्त पॅंजीयन अधिकारी
तावडु

श्री Satpal-Satbir-Sataybhan-Satish Kumar, Samay Singh

उपरोक्त विक्रेता व श्री/श्रीमती/कुमारी Rajwanti Janghu Through S.N. Janghu क्रेता हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यो को दोनो पक्षो ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। प्रलेख के अनुसार 0.00 रूपये की राशि क्रेता ने मेरे समक्ष विक्रेता को अदा की तथा प्रलेख मे वर्णित अग्रिम अदा की गई राशि के लेन देन को स्वीकार किया।
दोनो पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी Sunil Kumar Lam. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी Fatehpur व श्री/श्रीमती/कुमारी Mahender पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी Sohan Lal निवासी Kalarpuri ने की।
साक्षी न: 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप में जानते है तथा वह साक्षी न:2 की पहचान करता है।

दिनॉक 16/12/2014

उप/सयुँक्त पॅंजीयन अधिकारी
तावडु

तावडू जिला मेवात के हैं। जो कि हम बरूवे जमाबन्दी 2005—2006 व इन्तकाल नं0 698 — 699 अराजी जरई खेवट/खाता नं0 102/128 मु0 नं0 33 कीला नं0 23/2(0—13), 19/2(5—7), 22(8—0), व मु0 नं0 38 कीला नं0 2/2(6—18), 3(8—0), 8(8—0), 9(8—0), 12/2(2—13), 13/1(3—11), रकबा 51 कनाल 2 मरला का 3/8 भाग रकबा 19 कनाल 3 मरला ग्राम फतेहपुर तह0 तावडू के मालिक काबिज हैं। अराजी मजकूर पर रहन — आड रहन व अन्य किसी भी वितीय संस्था वगैरा का कोई भार नही है। अराजी मजकूर की बाबत किसी के साथ कोई सौदा बय इकरारनामा रसीद वगैरा नही किये हुये है। अराजी मजकूर किसी भी अदालत के हुकम से किसी भी बैंक — वितिय संस्था व अन्य किसी भी विभाग में जमानत पर नही दी हुई है। कोई मुकदमा नही चल रहा है। रकबा सरपल्स, कुर्क, एक्वायर शुदा नही है। अराजी मजकूर किसी के हक में डिग्री नही की हुई है और ना ही किसी को मु0 आम बनाया हुआ है। हमें अन्य अराजी वगैरा खरीदने के लिये धन की जरूरत है। अतः अब हम अपनी इच्छा व स्थिर बुद्धि से अपनी अराजी मजकूर को हक रास्ता सहित मु0 1,82,20,159/— रूपये (एक करोड बयासी लाख बीस हजार एक सौ उनसठ रूपये) में श्रीमति राजवन्ती जांघू पत्नी श्री सत्यनारायण जाधू पुत्र श्री मीरसिंह निवासी ई — 2364, अंसल पालम विहार गुडगावां तह0 व जिला गुडगावां को बय व कतई फरोख्त करते हैं। कब्जा अराजी मुबईया पर क्रेता का मौके पर करा दिया हैं। सर्व बयधन मु0 1,82,20,159/— रूपये (एक करोड बयासी लाख बीस हजार एक सौ उनसठ रूपये) हम क्रेता से निम्न प्रकार प्राप्त कर चुके हैं।

नाम	राशि	ड्राफट नं0	दिनांकः	बैंक का नाम
सतपाल	30,40,860/—	887636	10.12.2014	विजया बैंक गुडगावां
सतबीर	30,40,860/—	887637	10.12.2014	विजया बैंक गुडगावां
सत्यवान	30,40,860/—	887639	10.12.2014	विजया बैंक गुडगावां
सतीश कुमार	30,40,860/—	887635	10.12.2014	विजया बैंक गुडगावां
समयसिंह	60,56,719/—	887634	10.12.2014	विजया बैंक गुडगावां

अब हमारी कोई राशि उपरोक्त अराजी की बाबत क्रेता के जिम्मे बकाया नही रही है। अब हमारा व हमारे वारसान का अराजी मुबईया से कोई वास्ता किसी प्रकार का नही रहा हैं। क्रेता को अराजी मुबईया का अपनी भांति पूर्ण रूप से मालिक कामिल काबिज बना दिया है। अगर इस बय में कोई बाधा पड़ेगी या हमारी मलकियत की कमी के कारण अराजी मुबईया का कब्जा क्रेता

Sat Yawan [signature] Sat Pal समय सिंह Satish

से निकल जावेगा तो उस सूरत में, हम व हमारे वारसान व हमारी अन्य सम्पति क्रेता की हानि – हर्जा – खर्चा के अदा करने के जिम्मेवार रहेंगे। लागत स्टाम्प फीस आदि क्रेता ने की है। अतः यह बयनामा लिख दिया हैं कि सनद रहे। तावडू तारीख : 16.12.2014

Draf ted by :-
K. B. AMAN Adv. (Tauru-Nuh)

ह0 विक्रेतागण : सतपाल – सतबीर – सत्यवान – सतीश कुमार

Sat Pal Satbir Satyawan Satish

समयसिंह

समय सिंह

ह0 केता : श्रीमति राजवन्ती जांधू की तरफ से: सत्यनारायण जांधू

गवाह 1 सुनील कुमार नम्बरदार फतेहपुर गवाह 2 महेन्द्र पुत्र श्री सोहनलाल नि0 कालरपुरी

Sunil Kumar MSingh

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
2194	2014-2015	1

विक्रेता

क्रेता

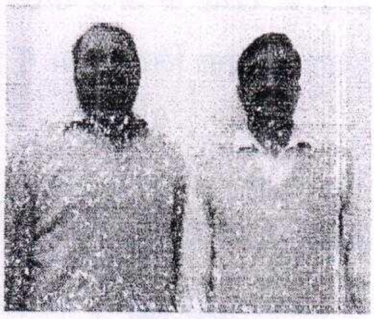

गवाह

विक्रेता

Satpal-Satbir-Sataybhan-Satish Kumar________________ Samay Singh________________

क्रेता

Rajwanti Janghu Through S.N. Janghu________________

गवाह 1:- Sunil Kumar Lamba________________ गवाह 2:- Mahender________________

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख कमांक 2,194 आज दिनाँक 16/12/2014 को बही नः 1 जिल्द नः 1,109 के पृष्ठ नः 145 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द नः 1,132 के पृष्ठ सख्या 17 से 18 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहो ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है ।

दिनाँक 16/12/2014

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी
तावड़